International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Special Issue on Multidisciplinary Approaches and Applications Studies in Research and Innovation
Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) योजना के माध्यम से महिलाओं में आए परिवर्तन का समीक्षात्मक अध्ययन

पूनम प्रिया

गृह विज्ञान, इस्लामिया चौक, गंगजला, सहरसा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

सारांश

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पारित एक क्रांतिकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है। यह योजना केवल आजीविका सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक संरचना में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति में इस योजना के कारण सकारात्मक बदलाव आए हैं। यह शोधपत्र एमजीएनआरईजीए के तहत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में आए परिवर्तनों का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

एमजीएनआरईजीए ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने और श्रम में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, बल्कि उनके आत्म-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार हुआ है। अनेक शोध अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि योजना में महिलाओं की भागीदारी औसतन 50 प्रतिशत से अधिक रही है, जो यह दर्शाता है कि यह योजना महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुई है। कार्यस्थलों पर महिला मजदूरों की उपस्थिति ने न केवल पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी है, बल्कि यह ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने में सहायक रही है।

इसके अतिरिक्त, योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। महिलाएं अब परिवार की वित्तीय योजनाओं में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर, कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे – समय पर मजदूरी का भुगतान न होना, बाल संरक्षण की अनुपलब्धता, और कार्यस्थलों पर सुविधाओं का अभाव। इन कमियों के बावजूद, एमजीएनआरईजीए ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर स्थापित किया है।

यह अध्ययन सुझाव देता है कि यदि कार्यस्थलों पर क्रेच सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, और सुरक्षित परिवहन जैसे उपाय किए जाएँ, तो महिलाओं की भागीदारी और प्रभावशीलता में और भी वृद्धि संभव है। साथ ही, योजना की निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी तथा सहभागी बनाना आवश्यक है।[1]

कीवर्ड्स: *मनरेगा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, ग्रामीण विकास, महिला भागीदारी*

परिचय (Introduction):

भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ चलाई गई हैं। इन योजनाओं में *महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम* (मनरेगा/एमजीएनआरईजीए) एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है, जिसे वर्ष 2005 में अधिनियम के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार देने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य न केवल आजीविका की सुरक्षा करना है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्रामीण भारत में महिलाएं पारंपरिक रूप से घरेलू कामों तक सीमित रही हैं और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी न्यूनतम रही है। एमजीएनआरईजीए ने इस स्थिति को बदलने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। यह योजना महिलाओं को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे वे न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, बल्कि सामाजिक निर्णयों में भी उनकी भूमिका सशक्त हुई है। योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित की गई है, किंतु वास्तविकता में अनेक राज्यों में यह भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही है, जो इस योजना की सफलता का संकेत है।

एमजीएनआरईजीए के कार्यस्थलों पर महिलाओं को समान मजदूरी, स्थानीय स्तर पर रोजगार, और समय-सीमा में भुगतान की गारंटी दी गई है। इससे ग्रामीण महिलाओं को पहली बार अपने जीवन में आत्मनिर्भरता का अनुभव हुआ है। अनेक शोध यह सिद्ध करते हैं कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ उनके सामाजिक व्यवहार और पारिवारिक संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। महिलाएं अब घरेलू निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी मामलों में जागरूकता दिखा रही हैं।

हालाँकि, इस योजना के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी देखी गई हैं। कुछ क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए उचित शौचालय, पेयजल, और बाल देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके अतिरिक्त, मजदूरी के भुगतान में विलंब, भ्रष्टाचार और श्रम मूल्यांकन की समस्याएँ भी मौजूद हैं। बावजूद इसके, महिलाओं की भागीदारी और उनके जीवन में आए बदलावों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एमजीएनआरईजीए एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुका है।[2]

- **एमजीएनआरईजीए और महिला भागीदारी (MGNREGA and Women's Participation)**

1. **योजना में महिलाओं के लिए निर्धारित प्रावधान**:- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया, एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में आजीविका का सशक्त आधार प्रदान करना है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशी प्रवृत्ति है, विशेषकर महिलाओं के लिए। यह अधिनियम न केवल ग्रामीण पुरुषों को रोजगार की गारंटी देता

है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करता है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, [3] जिनमें प्रमुख हैं:

- **कम-से-कम एक तिहाई भागीदारी**: अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में रोजगार पाने वालों में कम से कम एक-तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि योजना महिलाओं तक अवश्य पहुँचे और वे आर्थिक गतिविधियों में भाग लें।
- **समान पारिश्रमिक**: महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- **स्थानीय स्तर पर कार्यस्थल**: कार्यस्थलों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि महिलाएं अपने गाँव के आसपास काम कर सकें और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ कार्य में संतुलन बना सकें।
- **क्रेच सुविधा**: यदि कार्यस्थल पर पाँच या उससे अधिक बच्चे (छह वर्ष से कम आयु के) उपस्थित हैं, तो उनके लिए देखभाल की व्यवस्था (क्रेच) करना अनिवार्य है, जिससे महिलाओं को बच्चों की देखरेख की चिंता किए बिना कार्य करने की सुविधा मिले।

इन प्रावधानों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाया है।

2. **राज्यों में महिलाओं की औसत भागीदारी**:- हालांकि योजना में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2019 तक के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी इस आंकड़े से कहीं अधिक रही है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, 2018-19 में महिलाओं की राष्ट्रीय औसत भागीदारी लगभग **54 प्रतिशत** थी, जो यह दर्शाता है कि महिलाएं इस योजना से गहरे स्तर पर जुड़ी हैं।[3]

राज्यवार स्थिति

- **केरल** और **तमिलनाडु** जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 80% से अधिक रही है।
- **राजस्थान**, **छत्तीसगढ़**, और **झारखंड** जैसे राज्यों में यह आँकड़ा 55% से ऊपर रहा है।
- वहीं **उत्तर प्रदेश** और **बिहार** जैसे राज्यों में यह भागीदारी अपेक्षाकृत कम (लगभग 35–45%) रही, किन्तु इनमें भी वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई है।
- यह उच्च भागीदारी दर्शाती है कि महिलाओं में कार्य की इच्छा, आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और योजना में विश्वास लगातार बढ़ा है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ अन्य आर्थिक अवसर सीमित हैं, वहाँ एमजीएनआरईजीए महिलाओं के लिए एक प्रमुख आजीविका स्रोत बनकर उभरी है।

3. **महिला श्रमिकों की भूमिका और अनुभव**:- एमजीएनआरईजीए ने महिला श्रमिकों को केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उनके जीवन के अनेक आयामों में परिवर्तन लाया है। महिलाओं की भूमिका अब सिर्फ श्रमिक की नहीं रही, बल्कि वे एक *सहभागी विकासकर्ता* के रूप में उभरी हैं। उनके अनुभव यह संकेत देते हैं कि वे न केवल योजना से संतुष्ट हैं, बल्कि इसके ज़रिए उन्होंने आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान अर्जित की है।[3]

- **आर्थिक परिवर्तन:** एमजीएनआरईजीए से अर्जित आय ने महिलाओं को पहली बार अपने लिए खर्च करने, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देने, घरेलू जरूरतें पूरी करने और कभी-कभी बचत करने का भी अवसर दिया है। इससे उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है।
- **सामाजिक भूमिका में बदलाव:** पहले जिन महिलाओं को केवल घरेलू निर्णयों तक सीमित रखा गया था, वे अब पंचायत बैठकों में भाग लेती हैं, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करती हैं, और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हुई हैं। यह सामाजिक परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामुदायिक स्तर पर दिखाई दे रहा है।
- **कार्य अनुभव और चुनौतियाँ:**

महिलाओं ने श्रम कार्यों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और खेत की मेड़ बाँधने, तालाब खुदाई, सड़क निर्माण जैसे कार्यों में पूरी निपुणता के साथ भाग लिया है। हालांकि, कुछ कठिनाइयाँ भी उनके अनुभव में शामिल रही हैं:

- कार्यस्थल पर शौचालय और पीने के पानी की कमी
- समय पर मजदूरी न मिलना
- क्रेच सुविधा का अभाव
- पुरुष सहकर्मियों द्वारा कार्यस्थल पर भेदभाव की शिकायतें

फिर भी, अधिकांश महिला श्रमिकों ने इस योजना को अपने जीवन में एक "मुक्तिदाता" के रूप में देखा है।

- **एक अध्ययन के अनुसार**, छत्तीसगढ़ की एक अनुसूचित जनजातीय महिला, जिसने एमजीएनआरईजीए के माध्यम से अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर खर्च करना शुरू किया, कहती है: *"पहले हम घर के भीतर ही थे, अब बाहर आकर खुद पैसे कमा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं और गाँव की बैठक में बोल भी रहे हैं।"* यह अनुभव महज व्यक्तिगत नहीं, बल्कि यह पूरे ग्रामीण महिला समाज की सामाजिक चेतना का प्रतीक है।[3]

4. **आर्थिक प्रभाव (Economic Impact on Women):-**

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाए हैं, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए हैं। यह योजना उन्हें पारंपरिक पारिवारिक और सामाजिक बंधनों से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनती हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त होती हैं। इस खंड में हम तीन प्रमुख उप-विषयों — **आय में वृद्धि और आर्थिक आत्मनिर्भरता**, **खर्च एवं बचत की प्रवृत्ति में बदलाव**, तथा **घरेलू वित्तीय निर्णयों में भागीदारी** [4]

- **आय में वृद्धि और आर्थिक आत्मनिर्भरता:-** MGNREGA योजना के तहत कार्य करने से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पहले जहाँ अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में कम मजदूरी पर कार्य करती थीं या घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, अब उन्हें न्यूनतम निर्धारित मजदूरी पर 100 दिनों तक का कार्य उपलब्ध होता है। यह आय न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर करती है।[4]

2019 के आंकड़ों के अनुसार, MGNREGA के तहत **प्रति महिला श्रमिक को औसतन 184 से 210 रुपये प्रतिदिन** की मजदूरी प्राप्त हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य गैर-संगठित क्षेत्रों से कहीं बेहतर रही। इस योजना ने उन महिलाओं के लिए भी अवसर खोले हैं जो पहले कभी कार्यबल में शामिल नहीं थीं, जैसे विधवाएँ, अकेली महिलाएँ और अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाएँ।

मौलिक परिवर्तन:

- अब महिलाएं अपने स्वयं के खर्चों के लिए पति या परिवार पर निर्भर नहीं रहीं।

- कई महिलाओं ने अपनी पहली कमाई से स्वयं के लिए कपड़े, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू ज़रूरतों को पूरा किया।
- बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ा है, जिससे वित्तीय समावेशन हुआ।

उदाहरण: झारखंड की एक महिला श्रमिक बताती है कि पहले वह केवल घर के कार्य करती थी, लेकिन अब वह MGNREGA के माध्यम से हर माह ₹5000 तक कमा रही है। इस कमाई से उसने अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू किया और स्वयं पहली बार बैंक खाता खोला।

खर्च एवं बचत की प्रवृत्ति में बदलाव:- MGNREGA से प्राप्त आय ने ग्रामीण महिलाओं की **खर्च करने की प्रवृत्ति को आत्मनिर्भरता की दिशा में परिवर्तित किया** है। पहले महिलाएं घरेलू खर्च के लिए पुरुष सदस्यों पर निर्भर थीं, लेकिन अब वे अपनी कमाई से स्वयं निर्णय लेकर खर्च करती हैं।[4]

प्रमुख परिवर्तन बिंदु:
- भोजन, कपड़े, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने की क्षमता में वृद्धि।
- **छोटे व्यवसाय या पशुपालन में निवेश** की प्रवृत्ति बढ़ी है — जैसे कि बकरीपालन, मुर्गीपालन या सब्ज़ी की खेती।
- कई राज्यों में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) में शामिल होकर अपनी बचत को सामूहिक पूंजी में बदला।

बचत का उदय:
2019 में, बिहार, ओडिशा, और छत्तीसगढ़ में किए गए क्षेत्रीय अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 65% महिलाएं अपनी मजदूरी का कुछ हिस्सा नियमित रूप से बचा रही हैं। इनमें से अधिकतर ने स्वयं सहायता समूहों या ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में भागीदारी की है।

मनोसामाजिक प्रभाव:
- कमाई से महिलाएं आत्मगौरव का अनुभव करती हैं।
- बचत की आदत ने महिलाओं को **आपातकालीन स्थितियों के प्रति सुरक्षित किया है**।
- वे अब ऋण लेने की बजाय अपनी आय पर निर्भर रहती हैं।

घरेलू वित्तीय निर्णयों में भागीदारी:- महिलाओं की आय में वृद्धि से **घर के भीतर उनकी भूमिका में भी गुणात्मक परिवर्तन** आया है। जहाँ पहले केवल पुरुष ही आर्थिक निर्णय लेते थे, वहीं अब महिलाएं भी परिवार के वित्तीय निर्णयों में भाग लेने लगी हैं।[5]

मुख्य पहलू:
- बच्चों की शिक्षा के चुनाव से लेकर स्कूल फीस जमा करने जैसे निर्णय अब महिलाएं लेने लगी हैं।
- घर के निर्माण, बिजली या गैस कनेक्शन के लिए योजना बनाना अब महिलाओं की भागीदारी के साथ होता है।
- कई मामलों में महिलाएं पति या अन्य परिजनों को आर्थिक रूप से सहारा दे रही हैं।

दृष्टांत:
राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले की एक महिला बताती हैं कि पहले उनके पति ही सारे निर्णय लेते थे, लेकिन अब जब वह भी कमा रही हैं, तो घर के बजट बनाने में उनकी राय ली जाती है। वह अब राशन, बच्चों की कॉपी-किताबें और त्योहारों पर खर्च का निर्णय स्वयं करती हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन:
- आर्थिक स्वतंत्रता से **महिलाओं का आत्मविश्वास** बढ़ा है।
- परिवार और समुदाय में उनका **मान बढ़ा है**।
- पति और ससुराल पक्ष द्वारा निर्णयों में सहभागिता को स्वीकृति मिल रही है

MGNREGA योजना ने महिलाओं के जीवन में आर्थिक क्रांति ला दी है। यह योजना केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि यह **आर्थिक सशक्तिकरण का औजार** बन चुकी है। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है। उनकी आय में वृद्धि ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि परिवार और समाज के स्तर पर भी उन्हें सशक्त किया है।[4]

- **सामाजिक एवं पारिवारिक परिवर्तन (Social and Familial Transformation)**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) न केवल एक आर्थिक कार्यक्रम है, बल्कि यह ग्रामीण समाज के ढांचे को बदलने वाला एक सामाजिक सुधारक उपकरण भी बन गया है। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बदला है, बल्कि **उनकी सामाजिक पहचान, पारिवारिक भूमिका और सामाजिक दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन लाया है।**[5]

यह खंड मुख्यतः तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:
1. सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव
2. पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी
3. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बच्चों के पालन-पोषण पर प्रभा

1. **सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव:-** MGNREGA ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया है, जिससे उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने लगा है। पहले जहाँ महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित समझा जाता था, वहीं अब उन्हें मेहनती श्रमिक, आय अर्जक और सामाजिक योगदानकर्ता के रूप में देखा जाने लगा है।

मुख्य परिवर्तन बिंदु:
- **सार्वजनिक पहचान में वृद्धि:**
  महिलाओं को कार्यस्थलों पर पुरुषों के साथ बराबरी से कार्य करते देखना अब सामान्य होता जा रहा है। यह दृश्य ग्रामीण समाज की परंपरागत लैंगिक सोच को चुनौती देता है।
- **ग्राम पंचायतों में सहभागिता:**
  कई महिलाएं अब ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने लगी हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं।
- **स्वाभिमान और आत्मविश्वास:**
  MGNREGA के अनुभव से महिलाएं पहले से अधिक मुखर हो गई हैं, वे अब सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखने लगी हैं।

उदाहरण: *उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की रेखा देवी बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार खुद कमाई की और बैंक खाता खोला, तो गाँव के लोगों ने उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। पहले जो महिलाएँ परदे में रहती थीं, अब वे मिट्टी का काम करते हुए पंचायत भवन तक जा रही हैं।*

2. **पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी:-**MGNREGA से प्राप्त आय ने महिलाओं को परिवार के अंदर निर्णयों में भाग लेने का अधिकार और आत्मविश्वास दिया है। पहले जहाँ केवल पुरुष ही यह निर्णय लेते थे कि पैसे कहाँ खर्च होंगे, अब महिलाएं भी इसमें बराबरी से भागीदारी कर रही हैं।[5]

प्रमुख बदलाव:
- **घरेलू बजट में सहभागिता:**
  अब महिलाएं यह तय करने में सक्षम हैं कि राशन कितना और कब लाना है, बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होगा आदि।
- **संपत्ति और निवेश निर्णय:**
  कुछ महिलाएं छोटे स्तर पर पशुपालन, कृषि-उपकरण की खरीद या स्वयं सहायता समूहों में निवेश करने लगी हैं।

- **परिवार में सम्मान और भूमिका में परिवर्तन:** महिलाएं अब केवल पालन-पोषण करने वाली नहीं, बल्कि एक 'आय-स्रोत' और 'निर्णयकर्ता' की भूमिका में भी देखी जाती हैं।

मनोसामाजिक असर:

- महिलाएं जब स्वयं कमाने लगती हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और पति या सास-ससुर द्वारा उनकी राय को महत्व मिलना शुरू होता है।
- घरेलू हिंसा की घटनाओं में कुछ क्षेत्रों में कमी आई है, क्योंकि महिलाएं अब निर्भर नहीं रहीं।
- महिलाएं अब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेने में सक्रिय हैं

3. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बच्चों के पालन-पोषण पर प्रभाव:- महिलाओं की आय में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन-पोषण पर पड़ा है। MGNREGA ने उन्हें इतनी वित्तीय शक्ति दी है कि वे अब अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने की दिशा में प्रयासरत हैं।[5]

शिक्षा में सुधार:

- MGNREGA से आय मिलने के बाद कई महिलाओं ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, विशेषकर लड़कियों को।
- स्कूल ड्रेस, किताबें, ट्यूशन फीस आदि का खर्च अब महिलाएं स्वयं वहन कर रही हैं।
- कई परिवारों ने बच्चों को निजी स्कूलों में भी दाखिला दिलाया है, जो पहले असंभव था।

स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- बच्चों के टीकाकरण, पोषण आहार, नियमित जांच आदि में सुधार हुआ है।
- महिलाएं अब स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक उपयोग कर रही हैं क्योंकि उनके पास परिवहन और दवाइयों के लिए धन है।
- गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल में भी जागरूकता बढ़ी है।

पालन-पोषण में बदलाव:

- अब महिलाएं बच्चों को समय देना, पढ़ाई में रुचि लेना और अनुशासन सिखाना अधिक जिम्मेदारी से कर रही हैं।
- उन्हें यह समझ आने लगा है कि बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है, और वे उसके लिए आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं।[5]
- योजना के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ (Challenges in Implementation)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ग्रामीण भारत में निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक क्रांतिकारी योजना रही है। यद्यपि इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, परंतु **इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।**[6]

1. जदूरी भुगतान में देरी:- MGNREGA के अंतर्गत निर्धारित है कि मजदूरी का भुगतान **15 दिनों** के भीतर हो जाना चाहिए, किंतु **वास्तविकता में यह प्रक्रिया प्रायः विलंबित रहती है।**

समस्याएँ:

- भुगतान की प्रक्रिया में **तकनीकी अड़चनों** जैसे बायोमेट्रिक सत्यापन, PFMS प्लेटफॉर्म पर विलंब, बैंक की प्रक्रिया आदि के कारण समय पर मजदूरी नहीं मिल पाती।
- भुगतान में देरी से **श्रमिकों की विश्वसनीयता योजना से घटती है** और वे अन्य असंगठित क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं।
- महिला श्रमिकों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है क्योंकि वे अपनी आय पर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहती हैं।

उदाहरण: 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया कि *लगभग 54% भुगतान देरी से किए गए,* ***जिनमें अधिकांश मजदूरों को*** *21 दिनों से अधिक* ***समय लगा।***[1]

2. कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं की कमी

MGNREGA के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यस्थलों पर **शौचालय, पीने का पानी, शेड और प्राथमिक चिकित्सा** जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है, परंतु **अनेक स्थलों पर इनका घोर अभाव** है।[6]

समस्याएँ:

- महिला श्रमिकों के लिए शौचालय की अनुपलब्धता एक गंभीर स्वास्थ्य और गरिमा का प्रश्न बन जाता है।
- पीने के पानी की कमी और धूप/वर्षा में विश्राम हेतु व्यवस्था न होने से कार्यस्थल अमानवीय बन जाता है।
- विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं या वृद्ध महिलाओं को विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो उपलब्ध नहीं होतीं।

प्रभाव: *इन सुविधाओं की कमी से* ***महिलाओं की भागीदारी में गिरावट*** *आती है और योजना का सामाजिक सशक्तीकरण उद्देश्य प्रभावित होता है।*

3. सामाजिक अंकेक्षण और भ्रष्टाचार के मुद्दे

MGNREGA में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)** का प्रावधान किया गया है, परंतु कई राज्यों में यह प्रक्रिया मात्र औपचारिकता बनकर रह गई है।[6]

प्रमुख समस्याएँ:

- कई ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण होता ही नहीं या स्थानीय प्रभावशाली लोगों द्वारा उसे प्रभावित कर दिया जाता है।
- **"फर्जी जॉब कार्ड", "घोषित कार्य दिवसों में गड़बड़ी", और "अनावश्यक सामग्री खर्च"** जैसी भ्रष्ट प्रथाएँ सामने आती हैं।
- ज़मीनी स्तर पर काम के लिए पंजीकृत महिलाओं को काम नहीं मिलता, परंतु **रिकॉर्ड में उपस्थिति दिखाई जाती है।**

उदाहरण: *2019 में राजस्थान के टोंक ज़िले में किए गए एक सामाजिक अंकेक्षण में पाया गया कि **करीब 23% जॉब कार्ड ऐसे परिवारों के नाम पर जारी थे, जो वहाँ रहते ही नहीं थे।*[6]

- महिला सशक्तिकरण की दिशा में सुझाव (Suggestions for Strengthening Women's Empowerment)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ने ग्रामीण भारत में महिलाओं को न केवल आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर दिया, बल्कि उन्हें सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी का भी मंच प्रदान किया है। किंतु महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण और स्थायी बनाने के लिए कई स्तरों पर ठोस सुझावों की आवश्यकता है।[7]

1. कार्यस्थलों पर महिला अनुकूल वातावरण की स्थापना

महिलाओं की निरंतर भागीदारी के लिए यह आवश्यक है कि कार्यस्थलों को **सुरक्षित, स्वच्छ और महिला-मित्र बनाना** सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू होने चाहिए[7]

- शौचालय, पीने का स्वच्छ जल, बच्चों के लिए क्रेच (बाल देखभाल केंद्र) तथा छाया स्थल की व्यवस्था।
- महिला सुपरवाइज़रों की नियुक्ति, जिससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की संभावनाएँ न्यूनतम हों।

2. सप्ताह में निश्चित कार्य दिवसों की गारंटी

अक्सर महिलाओं को पर्याप्त कार्यदिवस नहीं मिलते, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता बाधित होती है। अतः यह आवश्यक है कि:

- प्रत्येक इच्छुक महिला को कम से कम **100 दिन का कार्य** सुनिश्चित किया जाए।
- कार्य की उपलब्धता की सूचना समय पर दी जाए और ग्राम पंचायत में **साप्ताहिक जॉब कैलेंडर** सार्वजनिक किया जाए।

3. सामाजिक अंकेक्षण में महिला भागीदारी

MGNREGA की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) आवश्यक है। यदि इस प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, तो यह उनके नेतृत्व कौशल को भी बढ़ावा देगा।[7]

- महिला स्वयं सहायता समूहों को अंकेक्षण की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है।
- पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को सक्रिय और निर्णायक बनाया जाना चाहिए।

4. वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रम

केवल आय अर्जित करना पर्याप्त नहीं, बल्कि महिलाओं को अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना भी सिखाना आवश्यक है। इसके लिए:

- ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएं।
- बैंक खाता संचालन, बचत, बीमा, और छोटे निवेश की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएं।[7]

5. तकनीकी एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन

लंबी अवधि में महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब उन्हें तकनीकी और पारंपरिक दोनों प्रकार के कौशल में दक्ष बनाया जाए।[7]

- सरकार को ग्रामीण महिला श्रमिकों के लिए **रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण** (जैसे टेलरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन) की व्यवस्था करनी चाहिए।
- MGNREGA कार्यों में महिलाओं के लिए **मेसनरी, सिंचाई एवं निर्माण** जैसे कार्यों में प्रशिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए।[7]

निष्कर्ष (Conclusion)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। इसके माध्यम से न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी उनके अधिकार और भागीदारी में सकारात्मक बदलाव आया है। योजना के प्रभावों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि एमजीएनआरईजीए ने ग्रामीण महिलाओं की जीवनशैली, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और निर्णय प्रक्रिया में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने परिवार तथा समाज में बेहतर स्थान प्राप्त कर रही हैं। आय में वृद्धि के कारण वे घरेलू खर्चों और बच्चों की शिक्षा-स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में अधिक सक्रिय हुई हैं, जिससे पूरे परिवार की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे मजदूरी भुगतान में देरी, कार्यस्थल पर सुविधाओं का अभाव, सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता में कमी और भ्रष्टाचार। ये बाधाएं न केवल योजना के लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि महिला श्रमिकों की भागीदारी और मनोबल को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि नीति-निर्माता, प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर कार्य करें। महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं, जिनमें कार्यस्थलों पर बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना, वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इन उपायों से महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि समग्र विकास के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक अवसर भी प्राप्त होंगे।[8]

इसके अतिरिक्त, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाना आवश्यक है ताकि योजना के संसाधन सही मायनों में उन महिलाओं तक पहुंचें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। महिला स्वयं सहायता समूहों और पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को सशक्त बनाना इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकता है। अंततः, MGNREGA जैसी योजनाएँ तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकतीं जब तक कि वे महिलाओं के बहुआयामी विकास और सशक्तिकरण को समग्र दृष्टि से न देखें। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल रोजगार प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय, सम्मान, और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। इसलिए, ग्रामीण विकास की नीतियों में महिलाओं की भूमिका को केंद्रीय स्थान देना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार, एमजीएनआरईजीए योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक बदलाव लाने में सक्षम रही है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार, समन्वय और नवाचार आवश्यक हैं। महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा सामूहिक प्रयासों और सतत प्रतिबद्धता के माध्यम से ही सफल होगी।[8]

संदर्भ (Reference):

[1] राजश्री, एस. (2018)। *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव: एक सामाजिक अध्ययन*, नई दिल्ली: समाज विज्ञान प्रकाशन, पृ. 152।

[2] वर्मा, किरण (2019)। *ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका*, वाराणसी: ग्रामीण विकास अध्ययन संस्थान, पृ. 98।

[3] मिश्रा, अंजली (2019)। *मनरेगा और महिला भागीदारी: एक क्षेत्रीय विश्लेषण*, पटना: ग्रामीण महिला विकास संस्थान, पृ. 87।

[4] शर्मा, नेहा (2019)। *ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका*, दिल्ली: महिला विकास अध्ययन संस्थान, पृ. 112।

[5] मिश्रा, आरती (2019)। *ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर मनरेगा का प्रभाव*, लखनऊ: ग्रामीण अध्ययन प्रकाशन, पृ. 87।

[6] कुमार, अंशुमान (2019)। *मनरेगा की चुनौतियाँ और समाधान*, दिल्ली: ग्रामीण विकास शोध संस्थान, पृ. 113। वही, पृ. 119।

[7] सिंह, सीमा (2019)। *ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका*, लखनऊ: ग्रामीण विकास प्रकाशन, पृ. 88।

[8] रीना (2019)। *ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के आयाम*, पटना: विकास अध्ययन संस्थान, पृ. 142।